आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 689/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2018-19

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चिखलीकला, मुल्ताई बैतुल	बनाम	असेसमेंट यूनिट, आयकर विभाग बेतुल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएएएपी 8766 डी PAN - AAAAP8766D		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री अमूल रांगनेकर, प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	25.02.2025
उद्‌धघोषणा तिथि :	27.02.2025

आदेश

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के आदेश दिनांक 20.02.2024 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । निर्धारिती संस्था एक प्राथमिक कृषि साख संस्था है जो बैतुल जिले के दूरस्थ गाँव में स्थित है जहाँ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मुश्किल से उपलब्ध होता है । अपील कार्यवाही के नोटिस ऑनलाईन प्रेषित किए गए थे और फिजीकल रूप से प्रेषित नहीं के गए थे । अतः निर्धारिती को ये नोटिस प्राप्त नहीं हुए । इस वजह से निर्धारिती

विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी यदि यह मामला नये सिरे से न्यायनिर्णयन हेतु आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में वापिस भेजा जाता है ।

3. मैंने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है। मैंने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया था, जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, मैं विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझता हूँ । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करके सकारण आदेश पारित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 27.02.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

दिनांक : 27.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल